

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: आदेश ::

आ0सं0-9/विविध-14-15/2010,सा0प्र0.12985/पटना-15, दिनांक 6-11-17

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राजीव कुमार, आशुलिपिक, वरीयता क्रमांक-76, बिहार राज्य योजना पर्वद को विभागीय आदेश संख्या-11929 दिनांक-15.09.2017 द्वारा आरोप मुक्त किये जाने के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या-1800 दिनांक-09.06.2011 की कंडिका-3(v) में निहित प्रावधानानुसार प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि 10 वर्ष की सेवा को तीन वर्षों के लिए क्षांत करते हुए आशुलिपिक (बैण्ड वेतन 5200-20200+ग्रेड वेतन-2400, अपुनरीक्षित) से निजी सहायक (बैण्ड वेतन 9300-34800+ग्रेड वेतन 4600, अपुनरीक्षित) के पद पर दिनांक-05.05.2016 के प्रभाव से वैचारिक (Notional) रूप से औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है।


2. यह प्रोन्नति विभागीय परिपत्र संख्या-4800 दिनांक-01.04.2016 की कंडिका-11(iv) में निहित शर्तों के अधीन होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप कर्मियों के नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित विभाग/कार्यालय में निजी सहायक के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0सं0	आशुलिपिक का नाम	वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन विभाग/कार्यालय	नव पदस्थापन का विभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5
1.	श्री राजीव कुमार	76	बिहार राज्य योजना पर्वद	बिहार राज्य योजना पर्वद


4. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ निजी सहायक के पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।

5. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

का0आ0सं0:-9/विविध-14-15/2010,सा0प्र0.12985/पटना-15, दिनांक 6-11-17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/बिहार राज्य योजना पर्वद/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।